

नगर निगम रोहतक की दिनांक 21.10.2016 को हुई सामान्य बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

दिनांक 21.10.2016 को प्रातः 11:00 बजे बैठक हल्ल, प्रथम तल, जिला विकास भवन, रोहतक में श्रीमती रेणु डाबला, मेयर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम की सामान्य बैठक आयोजित की गई।

बैठक निम्नलिखित पार्षदगण उपस्थित हुए:-

1. श्रीमती मंजु, सदस्य वार्ड नं0-6 एवं नरिल उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
2. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-16 एवं उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
3. श्री राजबीर, सदस्य वार्ड नं0-1, नगर निगम, रोहतक।
4. श्रीमती ममता गर्नी, सदस्य वार्ड नं0-2, नगर निगम, रोहतक।
5. श्रीमती मुशीला इंदौरा, सदस्य वार्ड नं0-3, नगर निगम, रोहतक।
6. श्रीमती सरिता, सदस्य वार्ड नं0-7, नगर निगम, रोहतक।
7. श्रीमती उपासना देवी, सदस्य वार्ड नं0-8, नगर निगम, रोहतक।
8. श्री चलराज सिंह, सदस्य वार्ड नं0-9, नगर निगम, रोहतक।
9. श्रीमती अनिता मिश्रानी, सदस्य वार्ड नं0-11, नगर निगम, रोहतक।
10. श्री गुलशन ईश्वरनियानी, सदस्य वार्ड नं0-12, नगर निगम, रोहतक।
11. श्री संजय, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
12. श्रीमती नीरा, सदस्य वार्ड नं0-14, नगर निगम, रोहतक।
13. श्री अजय कुमार जैन, सदस्य वार्ड नं0-15, नगर निगम, रोहतक।
14. श्रीमती पूनम, सदस्य वार्ड नं0-18, नगर निगम, रोहतक।
15. श्री अनिल, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।
16. श्रीमती लक्ष्मी, सदस्य वार्ड नं0-20, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम मेयर नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों, आयुक्त नगर निगम रोहतक तथा नगर निगम अधिकारियों/कर्मचारियों का बैठक में भाग लेने पर स्वागत किया। तदोपरात्त बैठक की कार्रवाई आरभ करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गये:-

दिनांक 14.06.2016 की बैठक में लिए गये निर्णयों पर नगर निगम रोहतक द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट सभी पार्षदगण को पत्र क्रमांक एम0सी0आर0/5556-80 दिनांक 18.10.2016 के द्वारा भेज दी गई थी, जिस पर नगर निगम को किसी भी पार्षदगण से कोई आपति ग्राप्त नहीं हुई तथा न ही सदन में किसी द्वारा कोई आपति दर्ज करवाई गई। अतः इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

इसके पश्चात बैठक में दिनांक 21.10.2016 को नगर निगम की सामान्य बैठक के लिए जारी किये गये एजेंडे पर विचार विमर्श करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गये:-

क्रम सं०	प्रेजेन्ट्डा	निर्णय
1.	<p>नगर निगम, रोहतक की सीमा में स्थित 112 अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने विकास शुल्क जमा करवाने बारे।</p> <p>नगर निगम, रोहतक की सीमा में स्थित 112 अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने की सिफारिश आयुक्त रोहतक मण्डल, रोहतक द्वारा निवेशालय को पत्र क्रमांक एल.एफ.ए./823 दिनांक 01.03.2016 को प्रस्तावना भेजी गई थी। जिस बारे अब निवेशालय के पत्र क्रमांक डी.ट्रू. एल.बी./टी.पी./ए.टी.पी.-3/2016/6153-6253 दिनांक 16.09.2016 के द्वारा इन कालोनियों में मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने से पूर्व कालोनियाईज़ आर.डब्ल्यू.ए. गटित कर विकास शुल्क जमा करवाने के निर्देश दिये गये हैं। जिसकी पालना में सभी पाषदराणी को पत्र क्रमांक एम. सी.आर./टी.पी./बी.आई.-1/701-720 दिनांक 14.10.2016 के द्वारा अनाधिकृत कालोनियों की वार्ड वाईज़ सूचि के साथ निवेशालय से प्राप्त पत्र की प्रति विजाई जा चुकी है। सदान में विचारार्थ प्रस्तुत है।</p>	यह प्रस्ताव सदन में सचनार्थ प्रस्तुत किया गया था।
2.	<p>घर-घर से कूड़े का उठान व उसका निष्पादन करने बारे।</p> <p>घर-घर से कूड़े का उठान व उसका निष्पादन करने बारे भारत सरकार व हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशन-जुसार नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक युनिट (मकान, दुकान व किसी भी वाणिज्यिक युनिट) से गोला व सूखा कूड़ा अलग-अलग उठाया जाना है। वर्तमान में नगर निगम के पास घर-घर से कूड़ा उठाने के लिये मात्र 20 गाड़ीयां हैं। जिससे प्रतिदिन प्रत्येक घर से कूड़ा उठाना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त इन 20 गाड़ीयों की संविधि, गाड़ीयों के लिये तेल, मुरम्त व रख-रखाव तथा गाड़ी के खराब होने व नहीं जा पाती जिसके कारण कूड़े का निष्पादन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाना उचित है कि नगर निगम क्षेत्र में सफाई कर्मचारी भी कम हैं। जिसके कारण सफाई व्यवस्था भी ठीक प्रकार से नहीं चल पा रही है। अतः इस व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिये प्रस्तावना है कि नगर निगम क्षेत्र के तीन वार्ड 7, 8 व 20 जिल्हा में ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, इसका एक जोन बना कर इसकी सफाई, घर-घर से</p>	<p>इस बारे निवेशक शहरी स्थानीय निकाय के पत्र क्रमांक TA/DULB/2016/ 9356 दिनांक 24.10.2016 द्वारा सफाई के कार्यों से संबंधित आमंत्रित की जाने वाली सभी निवाओं पर रोक लगा दी गई है। राज्य स्तर पर सफाई के कार्यों की निविदा तैयार की जा रही है, उसी अनुसार निविदा आमंत्रित की जायेगी। इसके अतिरिक्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित शर्त निविदा में डलवाने हेतु सरकार को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया:-</p> <p>“ House of Municipal Corporation may cancelation of the tender, if work will not found satisfactory ”</p>

<p>गोला व सूखा कूड़ा अलग-अलग लेना व सफाई परचात सभी कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों, डस्टबीन बिन्डुओं व बचे अतिरिक्त एरिया से भी अलग-अलग कूड़ा उठाना। इसके अतिरिक्त शहर के 17 वाँडों को 2 जोन में विभाजित कर घर-घर से सूखा व गोला कूड़ा अलग-अलग लेना व सफाई परचात सभी कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों, डस्टबीन बिन्डुओं व बचे अतिरिक्त एरिया से भी अतिरिक्त गोला की निवेदां आमन्त्रित की जानी उचित है। इन निवेदाओं में जो भी ठेकेदार/फर्म टैंडर लेना वह अतिरिक्त वाहन डस्टबीन, डम्पर ल्सर गोडियां व डस्टबीन लाल व हरे रंग के हों व गलियों से अतिरिक्त कूड़ा उठाने के लिये ट्रैक्टर-ट्रॉली उपलब्ध करवायेगा। यदि ठेकेदार/फर्म को अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं करता तो सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को जुमाना लगाया जायेगा। सदन को सूचनार्थ प्रेषित है।</p>	
<p>3. नगर निगम की गांव गढ़ी बोहर में कुटं वाली भूमि पर सिलाई केन्द्र का निर्माण करने वारे।</p> <p>गांव गढ़ी बोहर में नगर निगम की कुटं वाली भूमि पर श्री रामचन्द्र पुजु बलमत, गोशनी पलि मुख्यार सिंह, भूरा पुज्र धर्मसिंह, जोगेच्छ पुज्र रामचन्द्र आदि असमाजिक तलों द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्रयोग होने वाली भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। यह भूमि लाल डोरे के अन्दर है। इस जाह की चारदिवारी ग्राम पञ्चायत के सम्य श्रीमती सधीना पलि यशवंत सरपंच की देखरेख में सन 2007 में करवाई गई थी। अगर इस भूमि पर नगर निगम द्वारा सिलाई केन्द्र बना दिया जाता है तो अवैध कहना नहीं हो पाएगा। इस लिए इस भूमि पर सिलाई केन्द्र का निर्माण करने का निर्णय जैन हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है। सदन को सूचनार्थ प्रेषित है।</p>	<p>जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि नगर निगम की गांव गढ़ी बोहर में सिलाई केन्द्र का निर्माण कर सकता है तथा उसका संचालन व सिलाई टीचर का प्रबन्ध जिला कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। (जिला कल्याण अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p> <p>नगर निगम द्वारा स्टेचु नहीं लगाया जा सकता परन्तु पार्श्व के अनुरोध पर वहां एक पार्क बनाए जाने का निर्णय लिया गया तथा सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता को जल्द से जल्द मौका देखकर अनुमान तैयार करने के निर्देश दिये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
<p>4. करोंथा काण्ड से पीड़ित परिवार के शास्त्री उदयवीर की स्टैचु हेतु 50 वर्गमीट भूमि उपलब्ध करवाने वारे।</p> <p>श्री रामफल्ल पुज्र श्री जानी राम गांव बलियाणा जिला रोहतक ने माननीय उपायुक्त महोदय को प्रार्थना पत्र दे कर प्रार्थना की है कि मेरे पुज्र शास्त्री उदयवीर की मृत्यु करोंथा काण्ड दिनांक 12-05-2013 को हुई थी। दिनांक 16-05-2013 को गणपत्य व्यक्तियों के कहने अनुसार अनेक संस्कार की स्टेचु बनवाने का वापद किया था। शास्त्री उदयवीर का स्टेचु के लिए गांव ब्लॉक साथ से गांव बलियाणा के गांव से रस्ते रिंग बांध पानी के बुस्टर के गांव से गांव बलियाणा के गांव साथ पानी के बुस्टर के पास खासा नो 463/2 रकमा 3</p>	

<p>कनाल 7 मरले भूमि नगर निगम की मलकीयत है। उस भूमि में से 50 वर्गांड भूमि शास्त्री उद्यवीर का स्टचु के लिए देने का निष्प जैसे हैं। प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है। सदन को सूचनार्थ प्रेषित है।</p> <p>बैधर गाड़ियां लौहारों को प्लाट आवंटन बारे।</p>	<p>सर्वसम्मति से निरत किया गया।</p>
<p>निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरिधाण, पंचकुला ने दिनांक 17-02-2016 को लिखा है कि घुमन्तु जाति के गाड़ियों लौहार परिवार को भूखण्ड सर्जित कर आवंटन करके बसाने के लिए नीति निर्धारित करने वारे मामला सरकार के विचाराधीन है। अतः इस बारे अनुरोध है कि नगर निगम में रह रहे गाड़ियों लौहारों को बसाने के लिए उपलब्ध भूमि का ब्यौरा इस कार्यालय में भेजे। घुमन्तु जाति के गाड़ियों लौहार परिवार को भूखण्ड सर्जित कर आवंटन करने के लिए नगर निगम रोहतक की रोहतक शहर में कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। गांव सुनारी कला में किला नो 29 / / 5, 6 रकबा 16 कनाल, सुनारी खुर्द में किला नो 72 / / 19, 22 किते 2 रकबा 15 कनाल 18 मरले तथा गांव पहरावर में किला नो 36 / / 16, 25 किते 2 रकबा 15 कनाल 11 मरले भूमि उपलब्ध है। घुमन्तु जाति के गाड़ियों लौहार परिवारों की कुल जनसंख्या 134 को प्लाट किस गांव में देने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है। सदन को सूचनार्थ प्रेषित है।</p>	<p>यह बिन्दु नगर निगम की आगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।</p>
<p>अम्बेडकर कालोनी, एकता कालोनी, छोटूराम कालोनी, ग्रीन पार्क व राजीव जगह उपलब्ध करवाने वारे।</p> <p>उपरोक्त विषय के सबन्ध में कार्यकारी अभियन्ता, जन सारथ्य विषयां, डिविजन नो 2, रोहतक ने सन्दर्भित पत्र द्वारा सूचित किया है कि अम्बेडकर कालोनी, एकता कालोनी, छोटूराम कालोनी, ग्रीन पार्क व राजीव कालोनी निवासियों ने Boosting Station की मांग की है, क्यों कि इनके परिया में पानी नहीं पहुंच रहा है। इस लिए Boosting Station के लिए 100X100 फुट यानि 2 कनाल सम्बन्धित पार्सद ने बताया है कि नगर निगम की भूमि डेयरी काम्पलेक्स में</p>	

<p>उपलब्ध है। अतः आप उक्त भूमि पी.एच.ई. को स्थानान्तरण करने का कद्द करे ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके। डेयरी कामलैस के पास गांव कहनी में नार नियम की शुमि किला ना 37//23/2, 24/2, 25/2 रक्बा 13 कनाल 2 मर्ते उपलब्ध है। इस रक्बे में से Boosting Station के लिए 100X100 फुट यानि 2 कनाल जह पी.एच.ई. को स्थानान्तरण करने के लिए रेने का निर्णय लेने हेतु प्रताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।</p>	<p>सर्वसम्मति से निरस्त किया गया।</p>
<p>7. सुनार जाति की धर्मशाला बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाने वारे।</p>	<p>उपरोक्त निषय के सम्बन्ध में Gold Smiths & Jewellers Association, Rohtak का ओवेस्ट पञ्च माननीय विधायक, रोहतक के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उन द्वारा आवेदन पञ्च में आवेदन किया गया है कि सुनार बिरादरी के लिए पूरे रोहतक शहर में कोई धर्मशाला व सामुदायिक केंद्र नहीं है। इस लिए हमारी बिरादरी को अन्य किसी धर्मशाला में मीटिंग आदि रखनी पड़ती है। कमज़ोर सुनार जाति के लिए विवाह आदि के लिए भी आवश्यकता है। यह हमारी कई वर्षों से पुरानी मांग है। कुछा हमारी मांग पूरी की जाए। गोल्ड समीथ एण्ड जैलर्ज एसोसिएशन, रोहतक के प्रार्थना पञ्च के मध्यनजर नगर नियम, रोहतक की गांव कहनी की शुमि किला ना 55//9 रक्बा 8 कनाल मारति सेन्टर के पास उपलब्ध है। इस रक्बे को ग्रास्त रास्ता नहीं लागता है। इसके लिए साथ लगती शुमि के मालिकों से ग्रास्त लेना पड़ेगा। अतः गोल्ड समीथ एण्ड जैलर्ज एसोसिएशन, रोहतक को शुमि देने के लिए निर्णय लेने हेतु प्रताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।</p>
<p>8. कसाई चौक का नाम बदलकर साई चौक रखने वारे।</p>	<p>उपरोक्त निषय के सम्बन्ध में श्री निजय कुमार सिंका प्रधान चमोती मार्किट, रोहतक व चमोती मार्किट व कसाई चौक के आस-पास अन्य रहने वाले सभी दुकानदार अनुरोध करते हैं कि कसाई चौक का नाम बदलकर साई चौक रखा जाए। अतः कसाई चौक का नाम बदल कर साई चौक रखने का निर्णय लेने हेतु प्रताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।</p>
<p>9. हरियाणा पंजाबी स्वाभिमान संघ के प्रधान हेमंत बख्ती द्वारा प्रार्थना पञ्च</p>	<p>सर्वसम्मति से निरस्त किया गया।</p>

<p>देकर अनुरोध किया है कि रोहतक शहर में प्रथम शहीद 20वीं सदी के श्री मदन लाल धीगड़ा के नाम पर इस शहर में उनकी कोई प्रतिमा नहीं है। अतः अनुरोध है कि रोहतक शहर में सोनीपत्त टैण्ड के नाम से विनित चौक का नाम बदलकर शहीद मदन लाल धीगड़ा चौक रखा जाए व इस चौक की साईड में इनकी प्रतिमा स्थापित की जाए।</p> <p>हरियाणा पंजाबी स्थाष्टान संघ के प्राथमा पत्र को मध्यनजर रखते हुए सोनीपत्त टैण्ड के नाम से चिन्हित चौक का नाम बदलकर शहीद मदन लाल धीगड़ा चौक रखने व इस चौक की साईड में इनकी प्रतिमा स्थापित करने निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।</p> <p>डेयरियों का शहर से शिफ्ट करने हेतु।</p>	<p>सभी डेयरी आनार (दुर्गा भवन के पीछे) ने अनुरोध किया है कि हम छिले 50 50 वर्गों से डेयरियों में केवल बैंस खरीद फोकत का काम कर रहे हैं। यहां दूध बिक्की का कार्य नहीं होता है। इस लिए हमें अलग से एक स्थान मुहैया कराया जाए ताकि वहां भी हम सब उसी प्रकार से कार्य कर सकें।</p> <p>झार बिक्की का कार्य के लिए 20 लाट 1000 वर्गांज के, 33 लाट 500 वर्गांज के, 36 लाट 250 वर्गांज के हैं, तथा उसमें Bio Gas का लान्ट, सड़क आदि जाह की मांग की है। उन की मांग अनुसार इन लाठों के लिए 10 व 12 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। गांव गढ़ी चौहर में नगर निगम की भूमि किला न0 227/19, 20, 21, 22, 261/20, 21, 262/6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25 कुल 16 एकड़ भूमि उपलब्ध है। इस भूमि के क्लैवेटर रेट 25 लाख 50 प्रति एकड़ व माल्टीट रेट 60 लाख 50 प्रति एकड़ है। डेयरी एसोसिएशन झार की गई मांग पर विचार करने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।</p> <p>नगर निगम की भूमि गांधी कैम्प में श्री कृष्ण लाल खुराना के मकान के साथ लगती भूमि मकान मालिक को देने वारे।</p>	<p>सर्वसम्मति से निरस्त किया गया।</p>
<p>श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री आया राम निवासी जवाहर नार, रोहतक ने प्रार्थना पत्र दे कर प्रार्थना की कि मकान के साथ लगती भूमि जो मेरे कब्जे में है उसके दी जाए। इस बारे दिनांक 30-07-2015 को सदन की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि मकान के साथ लगती भूमि जो उसके कब्जे में है मकान मालिको को दी जाए। इस बारे दिनांक 14-11-2014 को हुई</p>	<p>सर्वसम्मति से निरस्त किया गया।</p>	

सदन की बैठक में प्रस्ताव पास करके चार पार्षदों श्रीमती अनिता मिगलानी, श्री अशोक खुराना, श्री जय किशन व श्री गुलशन ईशुनयानी की कमेटी गठित की गई थी। दिनांक 26-10-15 को गठित कमेटी को पत्र लिखा गया कि वह अपनी रिपोर्ट इस बारे प्रस्तुत करे। श्री अशोक खुराना व श्री जय किशन पार्षद ने श्री कृष्ण लाल जो 32 वर्गांज भूमि कलैक्टर रेट पर देने की सहमति दी है। श्रीमती अनिता मिगलानी व श्री गुलशन ईशुनयानी पार्षद ने भूमि को बेचने का विरोध किया है, क्योंकि यह लोगों की धार्मिक भावनाओं से ज़ुड़ा हुआ प्रस्तुत है। मन्दिर में उस मौहल्ले के लोग पूजा अर्चना करते हैं। इस लिए श्री कृष्ण लाल को 32 वर्गांज भूमि कलैक्टर रेट पर देने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।	
12. कहेली में नगर निगम द्वारा स्टोर का निर्माण किया गया है, परन्तु उसकी श्राइंग इस प्रकार की है कि सामुदायिक केन्द्र का रूप लगता है। वार्ड 18,19 व 08 में स्थित होने के कारण इसे सामुदायिक केन्द्र के रूप में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सामुदायिक केन्द्र के लिए 1.40 करोड़ रुपये की स्वीकृति है। इस स्टोर के आग्रह हिस्से में जो खाली लगाह है वहां 30 फुट व 40 फुट का एक स्टोर व इसके सामने स्थित तीन साईडो में सड़क का निर्माण किया जा सकता है। सदन के विचारार्थ प्रोत्तित है।	आगामी बैठक में पुनः विचारार्थ रखा जाएगा। (कार्यवाही कार्यकारी अभियन्ता द्वारा की जाएगी)
13. ग्राम सुनारी खुर्द में काटे गए जाटों को रास्ता लगाने वारे। ग्राम पांचायत सुनारी खुर्द द्वारा वर्ष 2003 में सुनारी खुर्द में अलाट किए गए जाटों की रिहाईयां नगर निगम द्वारा करवाई गई हैं। दिनांक 27.07.2016 को ग्राम सुनारी खुर्द में अलाट किए गए किला न0 72//18, 19, 23 व 103//3 में 107 जाटों की कब्जा कार्यवाही व निशानदेही मौके पर सभी उपस्थित लाटधारकों व पार्षद वार्ड न0 20 के सामने की गई। यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्राम पांचायत ने किला न0 72//18, 19, 23 व 103//3 में 107 जाट अलाट किए थे। उन द्वारा केवल इन किला न0 को 38 फुट का रास्ता लगाया गया है, जो जेल की सुरक्षा के लिए जेल की चारिदिवारी के साथ है। जेल विभाग जेल की चार दिवारी के साथ-2 अने नहीं देंगे। इस लिए इस रास्ते के अतिरिक्त 20 फुट का रास्ता और लाया जाना उचित होगा। इस रास्ते को मैं रास्ते से भी नहीं मिलाया गया है और न ही लाटों के आगे नगर निगम की बकाया भूमि को गर्ता लगाया गया है। अराने जाटों में आने जाने के लिए लाटधारकों को गर्ता उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य है। 33 एकड़ भूमि पर शिखर	सर्वसम्मान से स्वीकार किया गया। (कार्यवाही भू-अधिकारी द्वारा की जाएगी)

मान्द्र द्वारा कब्जा किया हुआ है। ग्रास्व रिकार्ड्सुसार इस भूमि की मलकायत नगर निगम की है। इस भूमि में से सलनन नक्शो अनुसार किला N0 72//20 को व ज्ञातो को किला N0 72//18,19 को लगाए गए रास्ते को किला N0 72//16,17, 73//16,17,18,19,20, 74//17,18,19,20, में से उत्तर दिशा में मेन रास्ते से मिलाते हुए उक्त सभी किला नम्बरों में से 10 करम यानि 58 फुट का रास्ता लगाया जाना उचित होता ताकि लाटधारक अपने ज्ञातों में आ जा सके। अतः ज्ञातो को 58 फुट का रास्ता यानि 38 फुट जेल की मुख्या के लिए 20 फुट ज्ञातो के लिए मेन रोड से रास्ता लगाने व 5 जाट जो रास्ते में आएं उनकी तरीम रेजिओ बनवाने का प्रतीत सदन की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत है।	शहर में भिन्न-2 चौराहों के फुटपाथों पर साईर्कल सिस्टम लागू करने के लिए 15 स्थान उपलब्ध करवाने बारे यूनिक विज़न पंचकुला, हरियाणा द्वारा शहर में भिन्न-2 चौराहों के फुटपाथों पर साईर्कल सिस्टम लागू करने के लिए 15 स्थान उपलब्ध करवाने की मांग की है। इस कम्पनी द्वारा शहर में सुविधा हेतु पश्चिम के सहयोग से साईर्कल सिस्टम आरम्भ करने हेतु शहर में भिन्न-2 चौराहों पर फुटपाथ के ऊपर साईर्कल स्टैण्ड/शैलॉट बनाए जाएं। इस योजना से शहर वासियों को अच्छी सुविधा मिलेगी तथा युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। नगर निगम द्वारा कोई खर्च नहीं किया जाना है, केवल जगह उपलब्ध करवाई जानी है। अतः यूनिक विज़न पंचकुला, हरियाणा कम्पनी को शहर में भिन्न-2 चौराहों के फुटपाथों पर साईर्कल सिस्टम लागू करने के लिए 15 स्थान उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव सदन की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से निरस्त किया गया।
प्रताप टाकिज चौक पर हुमान घाउ न तोड़ने बारे।	श्री प्रेम सेवा दल ने अनुरोध किया है कि उनके द्वारा प्रताप टाकिज चौक पर घाउ का निर्माण किया था परन्तु किसी ने कोई केस कर दिया था। अब कोटे का फैसला श्री प्रेम सेवा दल के हक में ढे गया है। अतः घाउ न तोड़ा जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिखा गया कि प्रताप टाकिज चौक पर घाउ को न तोड़ा जाये तथा घाउ के पीछे कब्जा की गई जमीन का कब्जा छुड़वाया जाये तथा वहां पर शैचालय व पुलिस पोस्ट का निर्माण किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
वाई नं 0 1 सूर्या नगर शिव कालोनी, नैहल कालोनी, बढ़सी नगर आदि कालोनियों का सर्वे करवाकर स्ट्रीट लाइट लगवाई जाये तथा	इस बारे नगर अभियंता ने सदन को अवगत करवाया कि नई स्ट्रीट लाइट खरीदने हेतु फर्म को वर्कआउटर दे दिया गया है। एक सप्ताह के अन्दर स्ट्रीट लाइट मंगवाकर सभी पारदर्शों को 100-100 लाइटे उपलब्ध करवा दी जायेगी ताकि आवश्यकतानुसार लाइटे लगाई जा सके। इसके साथ-2 यह भी निर्णय लिया गया कि आमजन से स्ट्रीट	

	सफाई व्यवस्था ठीक की जाये।	लाइट लगाने हेतु जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त हो उस पर पार्वद की सहमति उपरां ही लगावाई जाये।
17.	6 माह पहले नगर निगम मे हुई प्रमाण पत्र बनाने को लेकर हुई अवैध वसूली मे 4 लाख Repye का नोटिस देकर सिक्वरी आज तक नहीं हुई। अतः रिक्वरी की जाये और उस पैसे को सोशल जस्टिस के कार्य मे लगाया जाये।	सर्वसम्मति से निरस्त किया गया। <i>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्वाई की जानी है।)</i>
18.	वाई- 3 मे बाबा बालक नाथ मन्दिर से लेकर ऐनकुपुरा तक डेढ किलो मीटर के लगभग पक्की टापल बाली रोड बनवाई जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि मे वाई के कार्य करवाने मे इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। <i>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्वाई की जानी है।)</i>
19.	वाई- 3 मे माता दरवाजा बुस्टिंग स्टेशन से लेकर चमारिया रोड से जीद बाई पास तक लगभग 2 किलोमीटर रोड की मुरमस्त करवाई जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि मे वाई के कार्य करवाने मे इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। <i>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्वाई की जानी है।)</i>
20.	वाई- 3 मे साहसी चौक से ऐनकुपुरा वाया प्राईमरी सरकारी स्कूल से जीद बाई पास तक 1 किलोमीटर तक पक्का करवाया जाये इसके अतिरिक्त बरसी नगर का सुन्दर पुर की तरफ के परिये मे सीवर डलवाये जाये तथा गती पक्की करवाई जाये।	पहले सीवर का कार्य होना है इसके लिए निर्णय लिया गया कि जनस्वास्थ्य विभाग से अलग से बैठक कर कार्यों की समीक्षा की जाएगी तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव जनस्वास्थ्य विभाग को माननीय आयुक्त महोदय नगर निगम रोहतक के माध्यम से अर्धसरकारी पत्र लिखा जाएगा। <i>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्वाई की जानी है।)</i>
21.	वाई- 3 मे गोपाल कलोनी मे तीन गलियों की मुरमस्त करवाई जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि मे वाई के कार्य करवाने मे इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। <i>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्वाई की जानी है।)</i>
22.	वाई- 3 मे माता दरवाजा पर जोड का सौन्दर्यकरण करवाया जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि मे वाई के कार्य करवाने मे इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार

		<p>पर करवाया जाएगा। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
23.	वार्ड- 3 मे फौजी कलोनी मे गलीयां बनवाई जाये।	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रन्ट व भविष्य मे उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि मे वार्ड के कार्य करवाने मे इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा।</p> <p>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
24.	वार्ड- 3 मे धानक समाज समुदायिक केन्द्र मे मुरम्मत एवं सफेदी करवाने वारे (15 लाख)।	<p>इस बारे आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि तीन दिन के अन्दर-2 नगर निगम के सभी वार्डों के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक केन्द्रों की मुरम्मत तथा नए बनाए जानेवाले सामुदायिक केन्द्रों के एस्टीमेट तैयार करके सरकार को भेजा जाये। यह सामुदायिक केन्द्र व चौपाले सरकारी भूमि पर होनी चाहिए। व्यक्तिगत व प्राइवेट सामुदायिक केन्द्र इसमे शामिल नहीं होंगे।</p> <p>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
25.	वार्ड- 3 मे कबीर प्राइमरी हेल्थ सेन्टर बनवाने के लिए पहले भी नगर निगम की सदन की बैठक मे पास किया जा चुका है परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः जल्द से जल्द प्राइमरी हेल्थ सेन्टर बनवाने के लिए कार्रवाई अमल मे लाई जाये।	<p>इस बारे आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि तीन दिन के हेल्थ सेन्टर की प्रस्तावना सरकार को भेजी जा चुकी है। आयुक्त नगर निगम रोहतक द्वारा निर्देश दिये गये कि सिविल सर्जन युनियन: स्मरण: पत्र भेजे तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव स्थान्य विभाग को अर्ध-सरकारी पत्र भी लिखवाये।</p> <p>(कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
26.	वार्ड- 3 मे तेज कलोनी मे जर्जर अवस्था मे पड़ी हुई धानक चौपाल का पुनःनिर्माण करवाने तथा तेज कलोनी मे खाली पड़ी जमीन पर कबीर पार्क के नाम से पार्क का निर्माण हेतु पूर्व मे भी पास किया जा चुका है परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई। अत जल्द से जल्द कार्य शुरू करवाया जाये।	<p>इस बारे आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि तीन दिन के अन्दर-2 नगर निगम के सभी वार्डों के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक केन्द्रों की मुरम्मत तथा नए बनाए जानेवाले सामुदायिक केन्द्रों के एस्टीमेट तैयार करके सरकार को भेजा जाये। यह सामुदायिक केन्द्र व चौपाले सरकारी भूमि पर होनी चाहिए। व्यक्तिगत व प्राइवेट सामुदायिक केन्द्र इसमे शामिल नहीं होंगे।</p> <p>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
27.	वार्ड नं0 4, राजीव कलोनी मे धर्मकाटे से लेकर सैनियो के शमशान तक सीधर लाईन डलवाई जाये तथा शमशान से लेकर सुखबीर गढ़ी के मध्यन तक टाईल बिछवाई जाये।	<p>पहले सीधर का कार्य होना है इसके लिए निर्णय लिया गया कि जनस्वास्थ्य विभाग से अलग से बैठक कर कार्यों की समीक्षा की जाएगी तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव जनस्वास्थ्य विभाग को माननीय आयुक्त महोदय नगर निगम रोहतक के माध्यम से अर्धसंरक्षकी पत्र लिखा जाएगा।</p> <p>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>

28.	<p>सलारा महल्ला इंगी गैरी सूरत सिंह आखूपरिया के मकान से लेकर महंत उर्मिला के मकान तक सीवर डलवाया जाये।</p>	<p>पहले सीवर का कार्य होना है इसके लिए निर्णय लिया गया कि जनस्वास्थ्य विभाग से आलग से बैठक कर कार्यों की समीक्षा की जाएगी तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव जनस्वास्थ्य विभाग को माननीय आयुक्त महोदय नगर निगम रोहतक के माध्यम से अर्द्धसरकारी पत्र लिखा जाएगा। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्बवाई की जानी है।)</p>
29.	<p>वार्ड नं० ४ फलेहुपुरी कलोनी में डोना प्रधान वाली गली में तथा शेम नगर किशोरी जोगी से लेकर कच्चा चमारिया रोड तक इंटरलोकिंग टाईल लगवाई जाये।</p>	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रन्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। यहां पर भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार ही कार्य करवाया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्बवाई की जानी है।)</p>
30.	<p>वार्ड नं० ४ तेज कलोनी में मुरोश वाली गली की नालियां बंद करवाई जाये तथा लगभग खाली पहे ८०० फुट में सड़क बनवाई जाये।</p>	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रन्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। यहां पर भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार ही कार्य करवाया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्बवाई की जानी है।)</p>
31.	<p>वार्ड नं० ६ में सैक्टर ३ की खाली पड़ी जमीन पर पार्क का निर्माण किया जाये तथा उसका नाम साक्षी मलिक पार्क रखा जाये।</p>	<p>सम्पदा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सदन को सूचित किया गया कि यह स्थल हॉटेलेशन लाईन के नीचे स्थित है। अतः यहां पर पार्क का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए ग्रीन बैल्ट को विकसित किया जाये। (कार्यवाही सम्पदा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा कार्बवाई की जानी है।)</p>
32.	<p>वार्ड नं० ६ विशाल नगर, बसंत विहार तथा ताउ नगर में बिजली के पोल, पानी की लाईन, सीवर की लाईन डलवाई जाये तथा गलियां पक्की बनवाई जाये।</p>	<p>पहले जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जो नियमित शेत्र है उसमें पानी की लाईन व सीवर की लाईन का कार्य किया जाना है जिसके लिए उनसे सभी पार्श्वों के साथ अलग से बैठक की जाएगी, उसके पश्चात् उपलब्ध ग्रान्ट में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्बवाई की जानी है।)</p>
33.	<p>वार्ड नं० ६ में आवश्यकताजुसार स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की</p>	<p>इस बारे नगर अभियंता ने सदन को अवगत करवाया कि नई स्ट्रीट लाईट खड़ीदों</p>

	जाये।
34.	<p>वार्ड नं० नं० ६ जसबीर कालोनी रेलवे लाइन के साथ रोड पर पेल के साथ स्ट्रीट लाईट लगावाई जाये।</p> <p>हेतु फर्म को वर्कआईर दे दिया गया है। एक सप्ताह के अन्दर स्ट्रीट लाईट मंगवाकर सभी पार्षदों को 100-100 लाईट उपलब्ध करवा दी जायेगी ताकि आवश्यकतानुसार लाईट लाई जा सके। आवश्यकता व लाईटों को लगाने सम्बन्धित पार्षदगण की होंगी।</p> <p>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।)</p>
35.	<p>वार्ड नं० ६ के सेक्टर ३,४,२ का पार्ट तथा ३ का पार्ट के पार्कों का लाईट का प्रबंध, बैच तथा शैड, रख-रखाव व सौन्दर्यकरण करवाया जाये।</p> <p>इस पर कार्यवाही सम्पदा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा की जानी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम रोहतक को जो ५ सेक्टर मत्र रख-रखाव के लिए, जिसमें सड़कें, पार्क व स्ट्रीट लाईट शामिल थीं, स्थानान्तरित किये गये थे उन सेक्टरों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा न तो सड़कों की मुरम्त की गई है तथा न ही इन सड़कों, पार्क व स्ट्रीट लाईटों के लिए धनराशि स्थानान्तरित की है। नगर निगम रोहतक द्वारा पीने के पानी की सप्लाई व सीधर का कार्य पहले से ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को वापिस किया जा चुका है। कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा सदन को सूचित किया गया कि नगर निगम रोहतक के पास न तो अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध है तथा न ही तकनीकी स्टॉफ उपलब्ध है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के ५ सेक्टरों में विकास कार्य करवा सकें। इसके लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा धनराशि उपलब्ध न करवाने व नगर निगम रोहतक के पास अतिरिक्त तकनीकी स्टॉफ उपलब्ध न होने के कारण इन सेक्टरों को वापिस हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को वापिस करने के लिए अनुरोध पत्र निदेशालय को भेजा जाएगा।</p> <p>(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाई की जानी है।)</p> <p>सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।</p> <p>(कार्यवाही सम्पदा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा की जानी है।)</p>
36.	<p>वार्ड नं० ६ के अंतर्गत आने वाले सेक्टरों में लगे कर्मचारियों व अधिकारियों (बिजली, पानी, सीधर, सफाई इत्यादि)के मोबाइल नं०</p>

तथा नाम उपलब्ध करवाये जाये।	
37. वार्ड नं0 6 के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों के ऐडरों की प्रति सम्पर्क-2 पर उपलब्ध करवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्वाई की जानी है।)
38. वार्ड नं0 6 की कालोनियों के खाली पड़े ज्ञाते में कफी गंदी रहती है तथा बरसाती पानी इस्टटा रहता है। ऐसे ज्ञाते के सर्वे करवाकर नोटिस दिये जाये ताकि उनकी चारदिवारी/भरत करवाई जा सके।	हुड़ा के पड़े खाली ज्ञाते पर हुड़ा विभाग द्वारा नोटिस दिये जायें। (कार्यवाही सम्बद्ध अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा कार्वाई की जानी है।)
39. वार्ड नं0 7 में अस्थल बोहर तथा गढ़ी भजरा में पानी निकासी, सीधर की लाईन का प्रबन्ध किया जाये तथा कच्ची गलियों को पक्की करवाया जाये।	पहले जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जो नियमित क्षेत्र हैं उसमें पानी की लाईन व सीधर की लाईन का कार्य किया जाना है जिसके लिए उनसे सभी पार्षदों के साथ अलग से बैठक की जाएगी, उसके पश्चात् उपलब्ध ग्रान्ट में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्वाई की जानी है।)
40. वार्ड नं0 7 में गढ़ी भजरा में हरिजन चौपाल में काफी गन्दा पानी एकत्रित हो गया है अतः पानी की निकासी करवाकर चौपाल की मुरम्मत करवाई जाये।	इस बारे आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि तीन दिन के अन्दर-2 नगर निगम के सभी वार्डों के अंतर्गत आने वाले सामूदायिक केन्द्रों की मुरम्मत तथा नए बनाए जानेवाले सामूदायिक केन्द्रों के एस्टीमेट तैयार करके सरकार को भेजा जाये। यह सामूदायिक केन्द्र व चौपाले सरकारी भूमि पर होनी चाहिए। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्वाई की जानी है।)
41. वार्ड नं0 7 में बोहर गांव में 60% सीधर डाले जा चुके हैं बाकी बची जगह में सीधर लाईन बिछावाई जाये। इसके अतिरिक्त बोहर गांव में पानी की निकासी के लिए ज्ञाते को पक्का करवाकर पानी निकासी की व्यवस्था दुखलत की जाये।	पहले जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जो नियमित क्षेत्र हैं उसमें पानी की लाईन व सीधर की लाईन का कार्य किया जाना है जिसके लिए उनसे सभी पार्षदों के साथ अलग से बैठक की जाएगी, उसके पश्चात् उपलब्ध ग्रान्ट में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्वाई की जानी है।)
42. वार्ड नं0 7 में गढ़ी बोहर में नगर निगम की जमीन पर प्रजाएँ समाज की चौपाल का कार्य चालू करवाया जाये।	इस बारे आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि तीन दिन के अन्दर-2 नगर निगम के सभी वार्डों के अंतर्गत आने वाले सामूदायिक केन्द्रों की मुरम्मत तथा नए बनाए जानेवाले सामूदायिक केन्द्रों के एस्टीमेट तैयार करके सरकार को भेजा जाये। यह सामूदायिक केन्द्र व चौपाले सरकारी भूमि पर होनी चाहिए।

		व्यक्तिगत व प्राइवेट सामुदायिक केंद्र इसमें शामिल नहीं होगे। (कार्यकारी अभियंता, नार निगम, रोहतक द्वारा कार्बवाई की जानी है।)
43.	वाई नं 0 7 फेडस कालोनी गली नं 0 5 में पीने के पानी की व्यवस्था की जाये।	पहले जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जो नियमित क्षेत्र है उसमें पानी की लाइन व सीधर की लाइन का कार्य किया जाना है जिसके लिए उनसे सभी पार्शदों के साथ अलग से बैठक की जाएगी, उसके पश्चात् उपलब्ध ग्रान्ट में इन कार्यों को प्रायोगिकता के आधार पर करवाया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नार निगम, रोहतक द्वारा कार्बवाई की जानी है।)
44.	वाई नं 0 8 गांव बलियाणा के रिंग बांध को पक्का किया जाये।	वाई नं 0 8 गांव बलियाणा के सीधरेज का HSIDC के साथ जोड़ा जाये। सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया तथा वहां पर Metalled Road का निर्माण किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नार निगम, रोहतक द्वारा कार्बवाई की जानी है।)
45.	वाई नं 0 8 गांव बलियाणा के सीधरेज का HSIDC के साथ जोड़ा जाये।	श्री यश वर्मा, प्रबन्धक HSIDC द्वारा सदन को सूचित किया गया कि इस सन्दर्भ में consultant से रिपोर्ट ली जा रही है तथा आगामी 15 दिन के अन्दर-अन्दर आवश्यक कार्यवाही कर ली जाएगी। सदन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि बलियाणा गांव के सीधरेज Effluent Treatment पर होने वाले खर्चों को HSIDC द्वारा 2 प्रतिशत CSR पर होने वाले खर्चों से बहन किया जाये। (ईओ HSIDC रोहतक द्वारा कार्बवाई की जानी है।)
46.	वाई नं 0 8 गांव बलियाणा के रिंग बांध के ऊपर लाईट का कार्य पूरा किया जाये जोकि अधूरा पड़ा है।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता को जल्द से जल्द नियमानुसार कार्बवाई के निर्देश दिये गये। (कार्यकारी अभियंता, नार निगम, रोहतक द्वारा कार्बवाई की जानी है।)
47.	वाई नं 0 8 गांव बलियाणा के बाटर सप्लाई की पाईप लाईन पुरानी होने के कारण लीक हो रही है वहां पाईप लाईन बदली जाये।	पहले जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जो नियमित क्षेत्र है उसमें पानी की लाइन व सीधर की लाईन का कार्य किया जाना है जिसके लिए उनसे सभी पार्शदों के साथ अलग से बैठक की जाएगी, उसके पश्चात् उपलब्ध ग्रान्ट में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नार निगम, रोहतक द्वारा कार्बवाई की जानी है।)
48.	वाई नं 0 8 न्यू फेडस कालोनी (तिलियार झील के सामने) की गली को पक्का किया जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वाई के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। (कार्यकारी अभियंता, नार निगम, रोहतक द्वारा कार्बवाई की जानी है।)



49.	वार्ड नं0 8 बलियाणा गांव में गर्दे पानी की निकासी नहीं होने के कारण गंदा पानी इकट्ठा हो गया है वहां पर मिट्टी का भरत करवाया जाये।	नगर निगम द्वारा मिट्टी का भरत नहीं करवाया जाएगा। गर्दे पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण करवाया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
50.	वार्ड नं0 8 गांव बलियाणा में आबादी ज्यादा होने के कारण यहां पर चिकित्सा का अभाव है गांव के अन्दर एक पी0एच0सी0 बनवाया जाये।	सिविल सर्जन के प्रतिनिधि ने सदन को सूचित किया कि गांव में पहले ही सबसेटर है। सदन द्वारा अनुरोध किया गया कि गांव की जनसंख्या को देखते हुए पी0एच0सी0 की प्रस्तावना सरकार को भेजी जाए। (कार्यवाही सिविल सर्जन रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
51.	वार्ड नं0 8 गांव खेड़ी साथ में डिस्पेंसरी की जगह तो है परन्तु बिल्डिंग नहीं है गांव में डिस्पेंसरी के लिए भवन बनवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। (कार्यवाही सिविल सर्जन रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
52.	वार्ड नं0 8 खेड़ी साथ में गर्दे पानी के तालाब का पानी बाहर फैल रहा है। गांव खेड़ी साथ में गर्दे पानी के तालाब की बाऊड़ी बाल बनवाई जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सदन द्वारा कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि सभी ग्रामीण क्षेत्र के तालाबों की प्राथमिकता के आधार पर रिटेनिंग बॉल बनाई जाये तथा जोहड़ के बाद जो खाली जगह मिले, उस पर पार्क विकासित किया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
53.	वार्ड नं0 8 खेड़ी साथ में 10 पुलिया टूटी हुई है। आम ग्रासों का आना जाना बन्द है। अतः पुलिया का निर्माण करवाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। आनुकृत महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता को मौका देखकर जल्द से जल्द नियमानुसार कर्तवाई के निर्देश दिये गये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
54.	वार्ड नं0 9 रेवेन्यु कालोनी में कोई सामूदायिक भवन नहीं है अतः रेवेन्यु कालोनी में सामूदायिक भवन बनवाया जाये।	इस बारे सदन मे निर्णय लिया गया कि रेवेन्यु कालोनी में सामूदायिक केंद्र बनाने हेतु राजस्व विभाग की नगर निगम द्वारा प्रस्ताव भेजा जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
55.	वार्ड नं0 9 सेक्टर 1 में कोई खेल का मैदान नहीं है अतः सेक्टर 1 में एक खेल का मैदान बनवाया जाये।	वार्ड नं0 9 सेक्टर 1 में कोई खेल का मैदान बनवाने के लिए ₹0ओ0 हुड़ा की संबंधित पार्षद के साथ मौका देखकर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये। (कार्यवाही सम्मान अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
56.	वार्ड नं0 13 में मैन हैफड़ चौक से लेकर हैफड़ गेट से आगे	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने

<p>महेन्द्र किरणाणा वाले की दुकान तक, हैंडफ़ोन रोड सुखपुरा चौक रमेश पेस्टर वाली गली, लाडेंट गेड सुखपुरा नजदीक सुखपुरा चौक महेन्द्र नेहरा के मकान से डॉ जिलोक के मकान तक, राम रिघपाल कालानी में डॉ शानू से लेकर गगन के मकान तक, साईद्वास कालोनी में अशोकी की दुकान से लेकर संजय के मकान तक, जुस्लानक पुरा में अदुल की दुकान से लेकर फौजी के मकान तक पक्की सड़क बनवाई जाये इसके अतिरिक्त वजीर सिंह ठेकेदार व दीपचन्द की चक्की से लेकर लाडोत रोड पर गोहाना रोड तक दोनों तरफ ईन्टरलोकिंग टाइले लगवाई जाये। (यह कार्य नगर निगम की सदन की बैठक में पूर्व में खां जा चुका है परन्तु कोई कारबाई नहीं हुई है। अतः सम्बन्धित अधिकारियों पर कारबाई की जाये व जल्द से जल्द कार्य शुरू करवाया जाये।)</p>	<p>वाली अनुदान राशि में वाई के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कारबाई की जानी है।)</p>
<p>57. सभी पारदों को 100-100 स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाई जाये ताकि आवश्यकतानुसार सभी वार्डों में लाइटें लगवाई जा सके।</p>	<p>इस बारे नगर अधियंता ने सदन को अवगत करवाया कि नई स्ट्रीट लाइट खरीदने हेतु फर्म को वर्कआर्डर दे दिया गया है। एक सप्ताह के अन्दर स्ट्रीट लाइटें मंगवाकर सभी पारदों को 100-100 लाइटें उपलब्ध करवा दी जायेगी ताकि आवश्यकतानुसार लाइटें लगाई जा सके। आवश्यकता व लाइटों को लगाने सम्बन्धित पार्ददगण की होगी। (कारबाही कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कारबाई की जानी है।)</p>
<p>58. नगर निगम द्वारा भेजे गये प्रोपर्टी टैक्स बिल में काफी कमियां हैं तथा काफी पुराना एरियर जोड कर बिल दिया जा रहा है इसके अतिरिक्त पुराने एरियर का भी कोई ब्यौरा नहीं है। अतः बिल में संशोधन करवाकर पुनः बिल बटवाये जाये।</p>	<p>सदन द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया तथा निर्णय लिया गया कि संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, रोहतक की अध्यक्षता में प्रोपर्टी टैक्स के लिए जटित कमेंटी की बैठक की जायेगी। तदोपरांत नगर निगम कार्यालय में गृहकर शाखा में जाकर इसका ऑंकलन किया जायेगा ताकि आगमी कारबाही की जा सकें। (झींगीय कराथान अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कारबाई की जानी है।)</p>
<p>59. नगर निगम द्वारा प्रोपर्टी टैक्स का सर्वे किया जा रहा जिसके बारे</p>	<p>सहायक नगर योजनाकार ने सदन को अवगत करवाया कि नगर निगम के बार्ड में</p>

मे न तो किसी पार्षद को अवगत करवाया गया है तथा न ही हाउस में पास किया गया है। अतः इसके बारे में विस्तृत बौरा दिया जाये।	बाणिज्यिक संस्थानों व उद्योगिक संस्थानों की पहचान हेतु सर्वे किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत करवाया गया कि सर्वे करने के लिए ₹०८४८५८५ की गई थी तथा नियमानुसार फर्म को टैण्डर दिया गया था।
60. नगर निगम में की स्वास्थ्य शाखा में अस्थाई कर्मचारियों की भर्ती किस की अनुमति से की जा रही है तथा कुल कितने कर्मचारी लिये जाने हैं व कितने लिए जा चुके हैं? इसके अतिरिक्त नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा में पूरे स्टफ के होते हुए शहर की सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। अतः सफाई व्यवस्था को तुरन्त किया जाये।	सफाई निरीक्षक, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।
61. वार्ड नं० १६ की कुलाना बस्ती में सीवर लाईन डलवाई जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।	पहले जनस्वास्थ्य अधियांत्रिकी विभाग द्वारा जो नियमित क्षेत्र है उसमें पानी की लाईन व सीवर की लाईन का कार्य किया जाना है जिसके लिए उनसे सभी पार्वदों के साथ अलग से बैटक की जाएगी, उसके पश्चात् उपलब्ध ग्रान्ट में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये। इसके अतिरिक्त HSIDC इसे अपने सीवर लाईन में जुड़वाने का कार्य करेंगी। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
62. वार्ड नं० १६ जे.पी.कालोनी व सैनिक कालोनी में सामुदायिक केन्द्र बनवाए जाए।	इस बारे आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि तीन दिन के अन्तर-२ नगर निगम के सभी वार्डों के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक केन्द्रों की पुरमत तथा नए बनाए जानेवाले सामुदायिक केन्द्रों के एस्टीमेट तैयार करके सरकार को भेजा जाये। यह सामुदायिक केन्द्र व चौपाले सरकारी भूमि पर होनी चाहिए। व्यवितरण व प्राइवेट सामुदायिक केन्द्र इसमें शामिल नहीं होंगे। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
63. वार्ड नं० १६ पालिका कालोनी में पी.एच.सी.जो पहले से हाउस की मीटिंग में पास हो चुकी है उसे बनवाया जाए।	सिविल सर्जन के प्रतिनिधि द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उन द्वारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर की प्रस्तावना सरकार को भेजी जा चुकी है। आयुक्त नगर निगम रोहतक द्वारा निर्देश दिये गये कि सिविल सर्जन पुनः स्मरणः पत्र भेजे तथा अतिरिक्त मुख्य

		सचिव स्वास्थ्य विभाग को अर्ध-सरकारी पत्र भी लिखवाये। (कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
64.	वार्ड नं0 16 गांव कुताना की गलिया पक्की की जाए ।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रन्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा।
65.	वार्ड नं0 16 पालिका कालोनी के पार्क को विफलत किया जाए ।	(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।) इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रन्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
66.	वार्ड नं0 16 न्यू जनता कालोनी की दृटी हुई गलियों को दोबारा बनवाया जाए ।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रन्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
67.	वार्ड नं0 16 भिवानी चुंगी पर बस यात्रियों के खड़े होने के लिये बस क्यू शैल्टर बनवाया जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रन्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
68.	वार्ड नं0 16 गांव कुताना में ड्रेन नं0 8 पर केदार नाथ बस्ती की लाईट शहर वाले फीडर से जोड़ी जाये।	आमुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को गौका देखकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
69.	वार्ड नं0 16 शेर विहार कालोनी की गलियां इंटरलोकिंग टाइल से बनवाई जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रन्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
70.	वार्ड नं0 19 के पार्क में आउटडोर जिम के ऊपर शैड व नीचे वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रन्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार

		टाईल लगवाई जाये।
71.	वार्ड नं 0 19 के पार्क में एक शैड लगवाई जाये जहाँ आमजन गर्मी, धूप व बारिश में बैठ सके।	पर करवाया जाएगा। <u>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</u> इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा।
72.	वार्ड नं 0 19 झज्जर चुंगी में झज्जर बाई पास तक रोड के बीच बीच लाईट लगवाई जाये।	(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।) इस बारे अधीक्षक अभियंता लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़क) ने अवगत करवाया कि शहर में बनाए जाने वाले एलिवेटिड पुल वाले रोड पर लोग खम्भे हटवाए जाने हैं उन खम्भों को हटवाकर वार्ड नं 0 19 झज्जर चुंगी में झज्जर बाई पास तक रोड के बीच बीच लगवाई जा सकती है।
73.	वार्ड नं 0 19 में कुछ गलियों में सीवर लाईन तथा पानी की लाईन नहीं है अतः सीवर लाईन डलवाई जाये।	पहले जनस्वास्थ्य अधियाचिकी विभाग द्वारा जो नियमित क्षेत्र है उसमें पानी की लाईन व सीवर की लाईन का कार्य किया जाना है जिसके लिए उनसे सभी पार्वदों के साथ अलग से बैठक की जाएगी, उसके पश्चात् उपलब्ध ग्रान्ट में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये। <u>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</u>
74.	वार्ड नं 0 19 में लगभग एक वर्ष पूर्व बिजली के खम्बे लगवाये गये थे परन्तु आज तक उन पर तार नहीं डाली जा सकी है। अतः उन खम्बों पर बिजली की तार डलवाई जाये।	मदन द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया तथा कार्यकारी अभियंता विद्युत विभाग को निर्देश दिये गये कि यह एक गम्भीर विषय है। इस पर शीघ्र कार्यवाही करवाये। <u>(कार्यवाही कार्यकारी अभियंता, विद्युत विभाग रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</u>
75.	वार्ड नं 0 19 एकता कलोनी में पानी की डिग्गी के रिसाव के कारण मकानों में दरारे आ गई हैं। अतः उनका समाधान किया जाये।	आयुक्त महोदय ने संयुक्त आयुक्त नगर निगम रोहतक व कार्यकारी अभियन्ता जनस्वास्थ्य विभाग को मौका देखकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने व शीघ्र समाधान करने के निर्देश हिते। <u>(संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, रोहतक व कार्यकारी अभियन्ता जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</u>

76.	<p>वार्ड नं० 19 की कुछ गलियों कल्ची पड़ी है अतः उन गलियों को पकड़ा करवाया जाये।</p>	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रन्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
77.	<p>वार्ड नं० 19 एकला कलोनी में कुमाऊ सभा को सामूदायिक केंद्र बनवाने के लिए माननीय एमपी० साहब श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अपनी ग्रांट से से 27 लाख रुपये दिये थे परन्तु अभी तक काम चालू नहीं हुआ है।</p>	<p>इस बारे आनुकूल महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि माननीय सांसद महोदय से प्राप्त धनराशि का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाकर 28.10.2016 तक सिपोट प्रसुत करें। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
78.	<p>पिछली सदन की हाउस की मीटिंग में झज्जर वार्ड पास चौराहे का नाम शहीद भगत सिंह चौक रखा गया था। अतः झज्जर वार्ड पास चौराहे पर शहीद भगत सिंह चौक का बोर्ड लगवाया जाये।</p>	<p>सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये गये कि चौक का कार्य निर्माण पूर्ण होते ही बोर्ड लगवाया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
79.	<p>वार्ड नं० 20 में पाना दहलीज व पाना भुराण धानक शमशान शूमि की चार दिवारी व शेड बनवाई जाये।</p>	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रान्ट व भविष्य में उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि में वार्ड के कार्य करवाने में इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
80.	<p>वार्ड नं० 20 में सुनारिया गांव में तालाब की चार दिवारी का एस्ट्रीमेट १ साल से चार्डीगढ़ गया हुआ है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः जल्द से जल्द पत्राचार करके कार्य करवाया जाये।</p>	<p>वार्ड नं० 20 में सुनारिया गांव में तालाब की चार दिवारी करवाने के लिए आनुकूल महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि सरकार को अधस्तरकारी पत्र लिखा जाये। (कार्यकारी अभियंता नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
81.	<p>वार्ड नं० 20 में राजीव गांधी आवास योजना के तहत आये हुये मकान ७-८ महीने से लोग परेशान हैं जिनम के चक्कर काट रहे हैं कोई समाधान नहीं है कहते पीछे से पैसे नहीं आये। अतः इसका समाधान करवाया जाये।</p>	<p>आनुकूल महोदय ने सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर को निर्देश दिये कि सरकार को अधस्तरकारी पत्र लिखा जाये। (सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>

<p>82.</p> <p>वार्ड नं० 20 मे सुनारियां कलों व सुनारियां खुद मे फिरनी कच्ची है उसको पक्का करवाया जाये।</p>	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रन्ट व भविष्य मे उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि मे वार्ड के कार्य करवाने मे इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा।</p> <p>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कारवाई की जानी है।)</p>
<p>83.</p> <p>वार्ड नं० 20 मे पाना महातान की चौपाल बिल्कुल खत्म है उसे बनवाया जाये।</p>	<p>इस बारे आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि तीन दिन के अन्दर-2 नगर निगम के सभी वार्ड के अंतर्गत आने वाले सामूदायिक केंद्रों की मुरम्पत तथा नए बनाए जानेवाले सामूदायिक केंद्रों के एस्टीमेट तैयार करके सरकार को भेजा जाये। यह सामूदायिक केंद्र व चौपाले सरकारी शुमि पर होनी चाहिए। व्यक्तिगत व प्राइवेट सामूदायिक केंद्र इसमें शामिल नहीं होंगे।</p> <p>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कारवाई की जानी है।)</p>
<p>84.</p> <p>वार्ड नं० 20 मे बालिमकी कम्पनी सैन्टर 3 साल से अदूरा पड़ा है उसे पूरा करवाया जाये।</p>	<p>इस बारे आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि तीन दिन के अन्दर-2 नगर निगम के सभी वार्डों के अंतर्गत आने वाले सामूदायिक केंद्रों की मुरम्पत तथा नए बनाए जानेवाले सामूदायिक केंद्रों के एस्टीमेट तैयार करके सरकार को भेजा जाये। यह सामूदायिक केंद्र व चौपाले सरकारी शुमि पर होनी चाहिए। व्यक्तिगत व प्राइवेट सामूदायिक केंद्र इसमें शामिल नहीं होंगे।</p> <p>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कारवाई की जानी है।)</p>
<p>85.</p> <p>वार्ड नं० 20 मे श्री राम नगर व अमृत कालोनी 20-30 गलियां कच्ची पड़ी है उन्हे पक्का बनवाया जाये तथा सीवरों की सफाई करवाई जाये।</p>	<p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रन्ट व भविष्य मे उपलब्ध होने वाली अनुदान राशि मे वार्ड के कार्य करवाने मे इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा।</p> <p>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कारवाई की जानी है।)</p>
<p>86.</p> <p>वार्ड नं० 20 मे सुनारियां कलों मे तलाब की खुदाई 20-30 साल से नहीं हुई उसकी खुदाई करवाई जाये व उसका पानी बस्ती मे फैला हुआ है उसे निकलवाया जाये।</p>	<p>सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।</p> <p>सदन द्वारा कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि सभी ग्रामीण क्षेत्र के तालाबों की प्राथमिकता के आधार पर रिटेनिंग वॉल बनाई जाये तथा जोहड के बाद जो खाली जगह मिले, उस पर पार्क बिल्डिंग किया जाये।</p> <p>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कारवाई की जानी है।)</p>

<p>87. वार्ड नं० 20 में सुनारियां गांव में एक कम्युनिटी सेन्टर बनवाया जाये।</p>
<p>88. इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दु नगर सुधार मण्डल की हाउस की बैठक में रखने हेतु प्रस्तुत हैं:-</p> <p>प्रस्ताव नं:1 मीटिंग दिनांक 01-10-2003 के पैरा नं:7 के बिन्दु नं:5 के अनुसार नगर सुधार मण्डल की सभी कालोनीयों में आगर फस्ट फलोर तक मकान बना हुआ है तो $50/\text{रु}$ प्रति वर्गगज ट्रांसफर फीस व यदि फस्ट फलोर भी बना हुआ है तो $50+25=75/\text{रु}$ प्रति वर्गगज के हिसाब से ट्रांसफर फीस लेने वारे सदन की बैठक में निर्णय लेने का कष्ट करे।</p> <p>प्रस्ताव नं:2 मीटिंग दिनांक 01-10-2003 के पैरा नं:7 के बिन्दु नं:8 के अनुसार 127 वर्गज तक के रिहायशी घाटों पर सिक्योरिटी राशि $1000/\text{रु}$ व 127 वर्गज से ज्यादा के घाटों पर सिक्योरिटी राशि $2000/\text{रु}$ लेने वारे सदन की बैठक में निर्णय लेने का कष्ट करे।</p> <p>प्रस्ताव नं:3 मीटिंग दिनांक 01-10-2003 के पैरा नं:7 के बिन्दु नं:1 के अनुसार आगर प्रार्थी ने रजिस्ट्री करवा रखी है और वह घाट उसने आगे किसी अन्य व्यक्ति को रजिस्ट्री के द्वारा बैच दिया है और वह नगर सुधार मण्डल के रिकाउ मे अपने</p>
<p>इस बारे आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि तीन दिन के अन्दर-2 नगर निगम के सभी बाड़ों के अतंगत आने वाले सामूदायिक केन्द्रों की पुरामत तथा नए बनाए जानेवाले सामूदायिक केन्द्रों के एस्टीमेट तैयार करके सरकार को भेजा जाये। यह सामूदायिक केन्द्र व चौपले सरकारी भूमि पर होनी चाहिए। व्यक्तिगत व प्राइवेट सामूदायिक केन्द्र इसमें शामिल नहीं होंगे।</p> <p>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्यवाई की जानी है।)</p>
<p>सर्वसम्मति से निरस्त किया गया।</p>

<p>नाम द्रांसफर करवाना चाहता है तो 1000/रु प्रति रजिस्ट्री द्रांसफर फीस लेने वारे सदन की बैठक में निर्णय लेने का कष्ट करे।</p>	
<p>प्रस्ताव नं:4 मीटिंग दिनांक 01-10-2003 के पैरा नं:7 के बिन्दु नं:3 के अनुसार अगर किसी लाट की 3-4 बार रजिस्ट्री हो चुकी है और वह व्यक्ति अपने नाम द्रांसफर करवाना चाहता है व बीच की रजिस्ट्री प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो उस स्थिति में ग्रामी से एक शापथ-पत्र व 5000/रु द्रांसफर फीस लेने वारे सदन की बैठक में निर्णय लेने का कष्ट करे।</p>	
<p>प्रस्ताव नं:5 मीटिंग दिनांक 01-10-2003 के पैरा नं:7 के बिन्दु नं:4 के अनुसार अगर कोई लाट खाली पड़ा हुआ है और वह व्यक्ति उस लाट को द्रांसफर करवाना चाहता है तो उस व्यक्ति से 2000/रु सिक्योरिटी फीस व 50/रु प्रति वर्गगण के हिसाब से द्रांसफर फीस लेने वारे सदन की बैठक में निर्णय लेने का कष्ट करे।</p>	
<p>प्रस्ताव नं:6 मीटिंग दिनांक 12-11-2003 के पैरा नं:1 के अनुसार स्कीम नं:19 कर्मसियल काम्पलैक्स सुभाष रोड के 50 वर्गगण तक के लाटों की द्रांसफर फीस 300+300=600/रुपये प्रति वर्गगण लेने वारे सदन की बैठक में निर्णय लेने का कष्ट करे।</p>	
<p>प्रस्ताव नं:7 मीटिंग दिनांक 12-11-2003 के पैरा नं:5 के अनुसार स्कीम नं:13 श्यामलाल मार्किट/इन्डिया कालोनी में कर्मसियल लाटों पर द्रांसफर फीस</p>	

	<p>प्रस्ताव नं:8 मीटिंग दिनांक 12-11-2003 के पैरा नं:2 के अनुसार कर्मशियल 50 वर्गगज तक के प्लाटों की सिक्खोरिटी 3000/रुपये 50वर्गगज से आधिक के प्लाटों की सिक्खोरिटी 5000/रुपये लेने बारे सदन की बैठक में निर्णय लेने का कद्द करे।</p>
<p>प्रस्ताव नं:9 मीटिंग दिनांक 12-11-2003 के पैरा नं:4 के अनुसार कर्मशियल 50 वर्गगज से बड़े प्लाटों की फीस $350+350=700$/रुपये प्रति वर्गगज के हिसाब से लेने बारे सदन की बैठक में निर्णय लेने का कद्द करे।</p>	
<p>प्रस्ताव नं:10 मीटिंग दिनांक 01-10-2003 के पैरा नं:7 के बिन्दु नं:10 के अनुसार फैमिली ट्रांसफर/कानूनी केस/मृत्यु केस/वसीयत आदि में रिहायशी प्लाटों पर 1000/रुपये फीस व कर्मशियल प्लाटों पर 5000/रुपये ट्रांसफर फीस लेने बारे सदन की बैठक में निर्णय लेने का कद्द करे।</p>	<p>मीटिंग दिनांक 01-10-2003 के पैरा नं:7 के बिन्दु नं:10 के अनुसार फैमिली ट्रांसफर/कानूनी केस/मृत्यु केस/वसीयत आदि में रिहायशी प्लाटों पर 1000/रुपये ट्रांसफर फीस व कर्मशियल प्लाटों पर 5000/रुपये ट्रांसफर फीस लेने बारे सदन की बैठक में निर्णय लेने का कद्द करे।</p>
<p>89. सभी पार्षदों ने सदन में कहा कि बाड़ों में करवाये जाने वाले विकास कार्यों के टैण्डर नोटिस तथा वर्कआईर की प्रति पार्षदों को नहीं भिजवाई जाती।</p>	<p>आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अधियंता को निर्देश दिये कि भविष्य में नगर निगम रोहतक द्वारा किये जाने वाले विकास कार्यों के टैण्डर नोटिस तथा वर्क आईर की प्रति सभी पार्षदों को उपलब्ध करवाई जाये।</p>
<p>90. सभी पार्षदों ने सुझाव दिया नगर निगम की भूमि पर नगर निगम रोहतक का बोर्ड लगवाया जाये ताकि निगम की भूमि पर कोई कब्जा न हो सके।</p>	<p>आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इसके लिए नगर निगम के अंतर्गत आजे वाली भूमि चिह्नित करने उपरांत रिकार्ड तैयार करके उस पर नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगाया जाये।</p> <p>(कार्यकारी अधियंता व भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
<p>91. बाईं 14 की पार्षद श्रीमति नीरा भट्टानागर ने कहा कि</p>	<p>आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अधियंता को निर्देश दिये कि जल्द से जल्द मौका देखकर</p>

उनके वार्ड बड़ा बाजार में सड़क खराब हो चुकी है अतः उसका पुनःनिर्माण करवाया जाये।	पहले से स्वीकृत मैटल्ड रोड का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्बाइ नीजी है)
वार्ड 14 की पार्षद श्रीमति नीरा भट्टाचार्य ने कहा कि उनके वार्ड बड़ा में बाटर कूलर का जाल लगावा दिया गया था परन्तु बाटर कूलर नहीं लगाया गया।	आयुक्त महोदय ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि जल्द से जल्द मौका देखकर पहले से स्वीकृत निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्बाइ की जानी है।)

इसके अतिरिक्त सदन द्वारा यह श्री प्रस्ताव पारित किया गया कि भविष्य में होने वाली बैठक में उच्ची प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा कि जो हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 में चर्चित नियम के अनुसार बैठक में रखे जाएंगे। इसके उपरान्त मेयर, नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों तथा अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।

क्रमांक MCR/Mayor/2016/5868-72

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा सासद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।
- श्री शादीलाल बत्तरा, सासद राज्यसभा सदस्य।
- श्री मनीष ग्रोवर, माननीय सहबाहिता, लेखन एवं मुद्रण सामग्री व शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा।
- श्री शुभेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा सदस्य, गढ़ी सोंपला किलोई।
- श्रीमति शकुन्तला खट्क, विधानसभा सदस्य, कलानौर।

दिनांक 28/10/16

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/Mayor/2016/5873-79

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चार्डीगढ़।
- निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पचवरूला।
- आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक।
- उपायुक्त, रोहतक।
- प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक 28/10/16

6. सभी पार्षदगण, नगर निगम, रोहतक।
7. निजी सहायक आयुक्त, आयुक्त नगर निगम, रोहतक के सूचनार्थ।

क्रमांक MCR/Mayor/2015/5880-84

दिनांक28/10/16

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि अपने से सम्बन्धित कार्य की निश्चित सम्पत्तिय में करवाकर 15 दिन के अन्दर-2 बिन्दुवार पालना रिपोर्ट नगर निगम, रोहतक के कार्यालय में भिजवाये ताकि सदन की आगामी बैठक में कार्रवाइ रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकें।

1. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
2. सिविल सर्जन रोहतक।
3. अधीक्षक अधियंता जनस्वास्थ्य अधियाचिकी विभाग रोहतक।
4. अधीक्षक अधियंता उत्तरी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, रोहतक।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक।

नगर निगम, रोहतक।


मेयर,
नगर निगम, रोहतक।
